136

न्यायालय राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

समक्ष : एम.के. सिंह
सदस्य

प्रकरण कमांक निगरानी 794–एक/2015 विरूद्ध आदेश दिनांक 23.02.2015 पारित द्वारा अपर कलेक्टर छतरपुर प्रकरण कमांक 92/अ–19(4)/स्व. निग. /05–06

रतिया बेवा लछुआ काछी
निवासी ग्राम बमीठा तहसील राजनगर
जिला– छतरपुर (म.प्र.)

..... आवेदिका

विरूद्ध

मध्यप्रदेश शासन द्वारा कलेक्टर, छतरपुर

..... अनावेदक

श्री मुकेश भार्गव अधिवक्ता, आवेदिका
श्री प्रभात सिंह जादौन अधिवक्ता अनावेदक

आदेश

(आज दिनांक 19 –9 –2016 को पारित)

यह पुनरीक्षण अपर कलेक्टर, छतरपुर के प्र.कं. 92/अ–19(4)/स्व. निग. /05–06 में पारित आदेश दिनांक 23.2.2015 के विरूद्ध म.प्र. भू. राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के तहत पेश की गई है।

2– आवेदिका / अनावेदक अभिभाषक के तर्क सुने तथा अभिलेख का अवलोकन किया।

3– प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि वादग्रस्त भूमि सर्वे नं. 957/2 रकवा 4.824 हे. में से अंश रकवा 1.600 हे. भूमि ग्राम बमीठा तहसील राजनगर में स्थित भूमि का अपने नाम व्यवस्थापन कराने हेतु आवेदिका ने तहसील न्यायालय में आवेदन किया था जिस पर से प्र.कं. 03/अ–19(4)/01–02 दर्ज कर आदेश दिनांक 6.7.2002 द्वारा आवेदिका को भूमि स्वामी घोषित किया। उक्त आदेश के 4 वर्ष उपरांत अर्थात वर्ष 2006 में भू. अभिलेख छतरपुर के पत्र कमांक 1543/भू. अभि.–3/2005 छतरपुर दिनांक 31.08.2005 के द्वारा तहसीलदार राजनगर के राजस्व प्र.कं. 03/अ–19(4)/01–02 मं पारित आदेश दिनांक 6.7.02 द्वारा आवेदक को भूमिस्वामी स्वत्व प्रदान किये थे । उक्त व्यवस्थापन को नियमों के विपरीत मानते हुये स्वमेव निगरानी में लिया गया तथा आदेश दिनांक 6.7.02 निरस्त कर प्रश्नाधीन भूमि को शासकीय दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदिका ने यह निगरानी इस न्यायालय में पेश की गई है।

4– आवेदिका की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया कि आवेदिका प्रश्नाधीन भूमि पर 02.10.84 के पूर्व से काबिज थी एवं भूमिहीन थी ऐसी स्थिति में उसे म.प्र. कृषि प्रयोजनों के लिये उपयोग की जा रही दखल रहित भूमि पर भूमिस्वामी अधिकारों का प्रदान किया जाना (विशेष उपबंध) अधिनियम 1984 के अंतर्गत भूमि व्यवस्थापन कराने की पात्रता थी तहसील न्यायालय द्वारा आवेदिका को 02.10.1984 के पूर्व से काबिज होने के आधार पर व्यवस्थापन की थी। व्यवस्थापन होने के उपरांत काफी मेहनत से उसे कृषि योग्य बनाया है अपर कलेक्टर ने इस तथ्य को अनदेखा किया हे।

यह तर्क भी दिया गया कि इस प्रकरण में अपर कलेक्टर द्वारा वर्ष 2006 में अथ्रत 4 वर्ष अधिक समय पश्चात प्रकरण स्वमेव निगरानी में लिया जाकर आवेदिका के पक्ष में दिए गए व्यवस्थापन आदेश को निरस्त किया है जो अवैधानिक है क्योंकि स्वमेव निगरानी के अधिकारों का उपयोग युक्तियुक्त समय के भीतर ही किया जा सकता है और युक्तियुक्त अवधि कुछ माह ही हो सकती है इस संबंध में उनके द्वारा न्याय दृष्टांत 1998 (1) म.प्र. बीकली नोट्स 26 एवं न्याय दृष्टांत आई.एल.आर. (2011) एम.पी.1 (माननीय उच्च न्यायालय पूर्णपीठ) का हवाला दिया गया है।

5– अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपर कलेक्टर के आदेश को उचित बताते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

6– उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्को पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख से यह स्पष्ट है कि आवेदिका के पति लछुआ का कब्जा रहा उसके पश्चात आवेदिका का निरंतर कब्जा होकर कृषि की जाती रही इसी आधार पर आवेदिका को वर्ष 2002 में प्रश्नाधीन भूमि का व्यवस्थापन किया गया है जिसे अपर कलेक्टर ने 4 वर्ष उपरांत स्वमेव निगरानी में लेकर 13 वर्ष पश्चात निरस्त किया है जो औचित्यपूर्ण, न्यायिक एवं विधिसम्मत नहीं है। आवेदिका की ओर से उद्धरित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में 4 वर्ष की अवधि युक्ति युक्त अवधि नहीं मानी जा सकती। न्याय दृष्टांत 1998(1) म.प्र. बीकली नोटस, 26 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एक वर्ष की अवधि को किसी प्रकरण को स्वमेव निगरानी में लेने हेतु युक्तियुक्त अवधि नहीं माना गया है। इसी प्रकार न्याय दृष्टांत आई.एल.आर. (2011) एम.पी.आई. (रनवीर सिंह मृतक

बारिशान किशोरी सिंह एवं अन्य तथा म.प्र. शासन) में माननीय उच्च न्यायालयों केअनेक न्याय दृष्टांतों का संदर्भ देते हुए यह अभिनिर्धारित किया गया है कि –

"भू. राजस्व संहिता म.प्र. (1959 का 20) धारा 50 पुनरीक्षण संहिता की धारा 50 के अंतर्गत परिकल्पित पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा स्वप्रेरणा शक्तियों का प्रयोग उसके अधीनस्थ किसी राजस्व अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाहियों की अवैधता अनौचित्यता तथा अनियमितता की जानकारी की तारीख से 180 दिन की अवधि के भीतर किया जा सकता है भले ही अचल सम्पति शासकीय भूमि हो अथवा उसमें कोई लोकहित हो।"

यदि आवेदिका के द्वारा प्रस्तुत तर्को पर मानवीय दृष्टिकोण से विचार किया जाये तो स्थिति यह बनती है कि अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण में स्वमेव निगरानी की कार्यवाही युक्तियुक्त अवधि में नहीं की गई है। न्याय दृष्टांत 2009 आर.एन. 251 में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि संहिता की धारा 50 जब किसी पक्षकार को बहुमूल्य अधिकार प्राप्त हो जाये तब विलंब से किया गया पुनरीक्षण अवधि बाधित है और ऐसा विलंब 01 वर्ष भी अयुक्तियुक्त है तथा धारा 50 भूमि का व्यवस्थापन किया गया सरकारी भूमि घोषित नहीं की जा सकती क्योंकि सरकारी पदाधिकारियों द्वारा गलतियां की गई, प्रशासन प्राधिकारियों द्वारा की गई त्रुटियों के कारण पात्र भूमिहीन को भूमि के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। प्रकरण के तथ्यों एवं उपरोक्त प्रतिपादित न्याय दृष्टांतों के प्रकाश में अपर कलेक्टर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर कलेक्टर, छतरपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.02.2015 निरस्त किया जाता है एवं यह निगरानी स्वीकार की जाकर

आवेदिका के हित में ग्राम बमीठा तहसील राजनगर में स्थित प्रश्नाधीन भूमि 957/2 वर्तमान सर्वे नं. 957/2/2 रकवा 1.600 है. का किया गया व्यवस्थापन आदेश दिनांक 06.07.2002 यथावत रखा जाता है। तहसीलदार को निर्देशित किया जाता है कि आवेदिका के हक में हुये व्यवस्थापन आदेश के अमल को राजस्व अभिलेख में से उक्त आदेश के पालन में काटा गया हो तो उसे पुनः पूर्ववत आवेदिका के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज करें।

(एम.के. सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश
ग्वालियर